न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम- रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर — 20 / 2015

शांति देवी पत्नि किशनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

वादीनी

बनाम

1. आरिफ पुत्र अब्दुल सत्तार जाति व्यापारी मुसलमान निवासी कस्बा फतेहपुर मोहल्ला व्यापारियान तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
2. रुखसाना
3. समीरा पुत्रियां अब्दुल सत्तार जाति व्यापारी मुसलमान निवासी कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0
4. खैरुनिशा पत्नी इकबाल
5. अब्दुल वासिद
6. अल्ताफ
7. आरिफ
8. रासिद समस्त पुत्रगण इकबाल समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
9. रुबिना
10. शबाना
11. शब्बा समस्त पुत्रियां इकबाल समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
12. मोहम्मद शरीफ पुत्र यासीन
13. मोहम्मद शफी पुत्र यासीन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
14. खैरुनिशा पुत्री यासीन
15. अब्दुल सलाम पुत्र मोहम्मद यासीन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नंबर 5 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0
16. अब्दुल खालीक पिनारा
17. मोहम्मद अयूब पिनारा पुत्रगण मुस्लिम पीनारा जाति व्यापरी निवासी वार्ड नंबर 6 बीबी का कुंआ के पास कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर
18. हल्का पटवारी पटवार हल्का कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
19. तहसीलदार एवं उपपंजीयक फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
20. जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा 53/188 रा0का0अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता

श्री भीमसिंह – वादीनी

श्री मो0 आरीफ– प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः–14.03.2018

वादीनी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसर नंबर 300 रकबा 4.15 हैक्टयर वाके कस्बा फतेहपुर में अवस्थित है उक्त भूमि खसरा नंब 300 रकबा 4.15 हैक्टयर के 1/2 हिस्सा भूमि की भौतिक काबिज खातेदार काश्तकार वादिय है तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 है जिसमें प्रतिवा संख्या 1 ता 3 का 1/32 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 ता 11 का 1/16 हिस्सा भूमि, प्रतिवा संख्या 12 मोहम्मद शरीफ का रकबा 0.1470 हैक्टेयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 13 मोहम्मद श का रकबा 0.1123 हैक्टयर भूमि, प्रतिवादी संख्या 14 का 1/16 हिस्सा भूमि भाग प्रतिवा संख्या 15 का 1/32 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 16 व 17 का रकबा 1.0375 हैक्ट भूमि भाग है और इसी कदर खातेदारी उनके नाम बनी हुई है।

वादिया का उक्त भूमि खसरा नंबर 300 रकबा 4.15 हैक्टयर का 1/2 हि भूमि भाग बाद प्राप्त करने भौतिक कब्जा साधिकार क्रय किया हुआ है तथा वादिया का उ भूमि क्रय करने के दिन से ही उक्त भूमि के पश्चिमी ओर के 1/2 हिस्सा भूमि भाग अलग से भौतिक कब्जा है। वादिया ने उक्त भूमि के अपने पश्चिमी ओर के 1/2 हिस्सा भाग के चारों ओर तारबन्दी कर रखी है तथा वादिया के पश्चिमी हिस्सा में मुख्या रास्त फंटकर खसरा नंबर 300 के पूर्वी ओर के हिस्सा भूमि में से होकर रास्ता हमेशा से जाता है जिससे होकर वादिया अपने पश्चिमी ओर के हिस्सा भूमि को अलग से काश्त व काश्त करती है।

उक्त भूमि खसरा नंबर 300 रकबा 4.15 हैक्टसी के पश्चिमी ओर के वादि 1/2 हिस्सा भूमि भाग से प्रतिवादीगण का कोई संबध सरोकार कतई नहीं है फि प्रतिवादीगण सहखातेदारी के आधार पर वादिया के हमेशा से भौतिक कब्जे काश्त की प ओर के 1/2 हिस्सा भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखल देने दिलाने को उक्त भूमि का बिना माप व सीमांकन से विभाजन किये करवाये विक्रय अथवा अन्यथा अ करने करवाने को 15 दिन से तत्पर है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधि
फतेहपुर (सीक

वादिया का उक्त भूमि क्रय करने के दिन से ही उक्त भूमि के पश्चिमी ओर के 1/2 हिस्सा भूमि भाग पर अलग से भौतिक कब्जा काश्त होने से वादिया उक्त भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि पश्चिमी ओर के का माप व सीमांकन से विभाजन करवाकर खाता व लगान अलग से अपने नाम अलग से निर्धारित करवाने की अधिकारिणी है।

वादिया ने प्रतिवादीगण को वादिया के उक्त भूमि के भौतिक कब्जे काश्त अनुसार विभाजन करवाकर खाता व लगान वादिया के नाम अलग से निर्धारित करवा देने तथा वादिया के उक्त भूमि के पश्चिमी ओर के 1/2 हिस्सा भूमि भाग में कब्जे काश्त में दखल देने दिलाने से वादिया की तारबन्दी तोड़ने आदि से तथा उक्त भूमि का बिना विभाजन किये करवाये विक्रय अथवा अन्तरण करने करवाने से बाज रहने को कई बार निवेदन किया किन्तु वे 2 दिन से इंकार है अतः उनके विपरीत यह वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ जिसका वाद कारण व हक नालिश वादीया को हासिल है।

वाद वादिया बहक वादिया खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नंबर 300 रकबा 4.15 हैक्टयर वाके कस्बा फतेहपुर का माप व सीमांकन से विभाजन किया जाकर उक्त भूमि के पश्चिमी ओर के 1/2 हिस्सा भूमि भाग का खाता व लगान वादिया के नाम उसके भौतिक कब्जे काश्त अनुसार अलग से निर्धारित किया जावे।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे भूमि खसरा नंबर 300 रकबा 4.15 हैक्टयर वाके कस्बा फतेहपुर के वादिया के पश्चिमी ओर के 1/2 हिस्सा भूमि भाग के वादिया के कब्जे काश्त उपयोग उपभाग में किसी प्रकार की दखल देने दिलाने से वादिया को बेदखल करने करवाने से तथा उक्त भूमि का बिना विभाजन किये करवाये किसी भी प्रकार से अन्तरण व विक्रय करने करवाने से तत् संबंधी किसी प्रकार की लिखावट लिखने लिखवाने व पंजीकृत करने करवाने से मय अपने परिजन प्रतिनिधी नौकर व एजेन्ट बाज रहे।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11, 14, 17 ता 20 बावजूद तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रति. सं. 12, 13, 15, 16 की ओर से श्री मो. आरीफ ने वकालतानामा पेश किया व जवाब पेश नहीं किया। प्रति. सं. 12, 13, 15, 16 की जवाब देही बंद की गयी। वकील वादीया ने साक्ष्य पेश किये जिन पर वकील प्रतिवादी ने जिरह करने से मना किया। प्रकरण में प्राथमिक डिकी जारी की गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वाद वादी डिकी किया जाता है कि ग्राम कस्बा फतेहपुर के खसरा नम्बर 300 रकबा 4.15 है0 जिनके नवीन भू.प्रबन्ध के अनुसार खसरा नम्बर 653 रकबा 4.15 है.

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

किस्म बा.3 का निम्नानुसार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	आरिफ पुत्र अब्दुल सत्तार रूकसाना समीरा पुत्रियां अब्दुल सतार रकबा 0.1297 है. खैरूनिशा पुत्री यासीन रकबा 0.2594 है. खैरूनिशा पत्नी इकबाल अब्दुल वासिद, अल्ताफ, आसिफ राशिद पि0 इकबाल, रूबीना, शबाना सदा पुत्रियां इकबाल रकबा 0.2594 है. मोहम्मद शरीफ पुत्र यासीन रकबा 0.1470 है. मौ. शफी पुत्र यासीन रकबा 0. 1123 है. अब्दुल सलाम पुत्र मोहम्मद यासीन रकबा 0.1297 है. अब्दुल खालिक पिनारा, मो0 अयुब पिनारा पि. मुस्लिम पिनारा रकबा 1.0375 है. जाति व्यापारी सा. देह।	653/2	2.075	ब.3	6.23
2	शांति देवी पत्नी किशन सिंह रकबा 2.075 है. जाति जाट सा. खुड़ी	653/1	2.075	ब.3	6.23

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रेनू मीणा)

उपखण्ड अधिकारी

फतेहपुर(सीकर)

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास................रेनू मीणा (आर.ए.एस..)..

शांति देवी पत्नि किशनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0 वादीया

बनाम

1. आरिफ पुत्र अब्दुल सत्तार जाति व्यापारी मुसलमान निवासी कस्बा फतेहपुर मोहल्ला व्यापारियान तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
2. रुखसाना
3. समीरा पुत्रियां अब्दुल सत्तार जाति व्यापारी मुसलमान निवासी कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0
4. खैरुनिशा पत्नी इकबाल
5. अब्दुल वासिद
6. अल्ताफ
7. आरिफ
8. रासिद समस्त पुत्रगण इकबाल समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
9. रुबिना
10. शबाना
11. शब्बा समस्त पुत्रियां इकबाल समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
12. मोहम्मद शरीफ पुत्र यासीन
13. मोहम्मद शफी पुत्र यासीन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी कस्बा फतेहपुर तहस फतेहपुर जिला सीकर राज0
14. खैरुनिशा पुत्री यासीन
15. अब्दुल सलाम पुत्र मोहम्मद यासीन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नंबर कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राज0
16. अब्दुल खालीक पिनारा
17. मोहम्मद अयूब पिनारा पुत्रगण मुस्लिम पीनारा जाति व्यपारी निवासी वार्ड नंबर बीबी का कुंआ के पास कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर
18. हल्का पटवारी पटवार हल्का कस्बा फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
19. तहसीलदार एवं उपपंजीयक फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
20. जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर राज0

प्रति

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा 53/188 रा0का0अधिनियम 1955

मुकद्दमा नं.....20..........................सन्....2015..

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..

व हाजिरी...श्री भीमसिंह एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री मो0 आरीफ मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम कस्बा फतेहपुर के खसरा नम्बर 300 रकबा 4.15 है0 जिनके नवीन भू.प्रबन्ध के अनुसार खसरा नम्बर 653 रकबा 4.15 है. किस्म बा.3 का निम्नानुसार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	आरिफ पुत्र अब्दुल सत्तार रूकसाना समीरा पुत्रियां अब्दुल सतार रकबा 0.1297 है. खैरूनिशा पुत्री यासीन रकबा 0.2594 है. खैरूनिशा पत्नी इकबाल अब्दुल वाहिद, अल्ताफ, आसिफ राशिद पि0 इकबाल, रूबीना, शबाना सदा पुत्रियां इकबाल रकबा 0.2594 है. मोहम्मद शरीफ पुत्र यासीन रकबा 0.1470 है. मौ. शफी पुत्र यासीन रकबा 0. 1123 है. अब्दुल सलाम पुत्र मोहम्मद यासीन रकबा 0.1297 है. अब्दुल खालिक पिनारा, मो0 अयुब पिनारा पि. मुस्लिम पिनारा रकबा 1.0375 है. जाति व्यापारी सा. देह।	653/2	2.075	ब.3	6.23
2	शांति देवी पत्नी किशन सिंह रकबा 2.075 है. जाति जाट सा. खुड़ी	653/1	2.075	ब.3	6.23

निज.............–..............मुबलिग................–.....................बाबत.......................–......................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह................–..........................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....14......माह ......मार्च..........सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत..

मुहर ओहदा उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	—	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	3	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महन्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान	—	
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	—		मुतफरिक	—	
मीजान	3			3	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीतापुर)